न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग जिला–डीग

पदेन न्यायालयः– विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, डीग (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सरोज मीना, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या	217/2026
सीआईएस नम्बर	218/26
सीएनआर नम्बर	RJDE010007372026
प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस थाना	425/20 पुलिस थाना डीग
अपराध अन्तर्गत धारा	323,341,भा.दं.सं.एवं धारा 3 (1) (आर) (एस), 3 (2) (वीए)
निर्णय दिनांक	03.06.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	21.07.2020
रिपोर्ट पेश करने की तिथि	21.07.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	31.05.2022
आरोप सुनाये जाने की तिथि	21.11.2022
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	22.11.2024
साक्ष्य पूर्ण होने की तिथि	04.07.2026
बयान मुलजिम लेखबद्व किये जाने की तिथि	04.07.2026

अभियुक्त का विवरण

क.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्वी या दोषमुक्ति	दिये गये दण्ड का विवरण	धारा 468 बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	प्रकाशी	13.10.2020	13.10.2020	323, 341, भा.दं.सं. एवं धारा 3 (1) (आर) (एस), 3 (2) (वीए)	दोषमुक्ति	–	–

अभियोजन साक्षियों की सूची

क.सं.	अभियोजन साक्षी क्रम	साक्षी का नाम	क्या शाहदत देगा
1	पी.डब्ल्यू–1	पूनम	मजरूबा, नक्शा मौका
2	पी.डब्ल्यू–2	मोहन	नक्शा मौका
3	पी.डब्ल्यू–3	छत्रपाल	बयान
4	पी.डब्ल्यू–4	विजयपाल	बयान, नक्शा मौका

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों/प्रदर्शों की सूची

क.सं.	दस्तावेज क्रमांक	दस्तावेज का नाम
1	प्रदर्श–1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श–2	एफआईआर चाक

3	प्रदर्श–3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श–4	चोट प्रतिवेदन पूनम
5	प्रदर्श–5	प्रार्थना पत्र
6	प्रदर्श–6	बंधपत्र
7	प्रदर्श–7	आधार कार्ड
8	प्रदर्श–8	बंधपत्र
9	प्रदर्श–9	पुलिस बयान
10	प्रदर्श–10	आधार कार्ड
11	प्रदर्श–11	पुलिस बयान

अभियुक्त/बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों/प्रदर्शों की सूची

क्र.सं.	दस्तावेज क्रमांक	दस्तावेज का नाम
–	निल	–

राजस्थान राज्य ———अभियोगी

<u>ब ना म</u>

प्रकाशी पत्नी चंदी निवासी कठेरा चौथ थाना डीग, जिला डीग।

—— अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 323,341 भा.दं.सं. एवं धारा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट

1. राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।

3. श्री धर्मेन्द्र सिनसिनी, अधिवक्ता अभियुक्त ।

2. श्री तुलसीराम, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 04.07.2026</u>**

1. थानाधिकारी पुलिस थाना डीग की ओर से दिनांक 31.05.2022 को अभियुक्ता प्रकाशी के विरूद्व धारा323, 341 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 (1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के आरोपों में अभियोग पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी पूनम ने पुलिस थाना डीग पर उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 21.7.2020 को शाम के करीब 5 बजे वह अपने घर से एल पर पानी लेने के लिए गयी थी तो वह उस नल से पानी नही भर सकती तो इसलिए तो उसने रनजीत, बन्टी, बाबी इनकी औरतें थी तथा इन ओरतो की सास प्रकाशी भी वहां पर थी इनकी जाति बघेल है तथा निवासी कठैरा की है तो मुझसे गाली–गलौच करने लगी तथा मुझसे इन ओरतों ने मारपीट

करनी शुरू कर दी तथा डन्डो से वार करने लगी जिससे उसके हाथ पर गहरी चोट आयी है तथा काफी खून निकला है और उसके सिर तथा शरीर पर काफी गुम चोटे आयी है इत्यादि।

3. उक्त परिवाद पर थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 425/2020 अंतर्गत धारा 323, 341, भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद् किया गया तथा बाद पूर्ण अनुसंधान धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

4. बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्ता के विरूद्घ धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया–समझाया गया, जिन्हें सुन–समझकर अभियुक्ता ने आरोपित अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्लू–1 से लगायत पीडब्लू–7 को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 से लगायत प्रदर्श पी–11 को प्रदर्शित कराया गया, जिनका उल्लेख पूर्व में सारणीबद्व किया जा चुका है।

6. दौराने विचारण परिवादी पक्ष व अभियुक्तगण ने धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया। अब पत्रावली पर धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप शेष रहता है।

7. दिनांक 04.07.2026 को अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं विशेष कथन में प्रकट किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश की गयी।

8. विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्घ आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुये हैं, जो घटना के सभी चश्मदीद गवाह अपनी साक्ष्य से साबित करते हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्घ किये जाने का निवेदन किया गया।

9. इसके विपरीत अभियुक्त के विरूद्घ अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्घ आरोपित अपराध कतई साबित नहीं हुये हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

10. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्घ युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करन है कि –

"क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.07.2020 को शाम करीब 5 बजे या उसके आस–पास ग्राम कठेरा में परिवादिया पूनम को सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान पर, यह जानते हुये कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, उनका साशय इरादतन अपमान कर सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों से संबोधित करते हुये गाली दी गयीं?"

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत हुयी है, उसका अवलोकन किया जावे तो परिवादिया पीडब्लू–1 पूनम ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि करीब 03–04 साल पहले की बात है। शाम की बात है। वह प्रकाशी के नल पर पानी लेने गयी थी तो वहां पर प्रकाशी व उसकी बहू वहां खड़ी मिलीं जिन्होंने उसके साथ गाली गलौच की व मारपीट की। उसके हाथ में लग गयी जिससे खून निकला था। उसके सिर व शरीर में भी चोट आयी थी। इन लोगों ने मुझसे जातिसूचक शब्द भी कहे थे। उसने इस घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 दर्ज करायी थी, चाक एफआईआर प्रपी 02, नक्शा मौका प्रपी 03, उसकी चोटों का मेडिकल प्रपी 04, उसने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जो प्रपी 05 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि जिस नल से वह पानी लेने गयी थी वह प्रकाशी की बाउण्ड्री के अंदर है। वह नल प्रकाशी का ही है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी न ही उससे जातिसूचक शब्द बोले गये थे।

11. गवाह पीडब्लू–2 मोहन ने अपने बयानों में कथन किया है कि करीब 03 साल पहले की बात है। उसकी बच्ची पूनम ने मुझे बताया था कि वह शाम को प्रकाशी के घर पानी भरने गयी थी तो वहां पर प्रकाशी की बहू मिली और वहां पर उसने पानी भर दिया। पानी भरने को लेकर आपस में गाली गलौच व मारपीट हो गयी थी। उसकी बच्ची के हाथ व सिर में चोट आयी थी। जातिसूचक गालियां दी। उन्होने जो रिपोर्ट दर्ज करायी थी वह प्रपी 01, चाक एफआईआर प्रपी 02, नक्शा मौका प्रपी 03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि जिस नल से वह पानी लेने गयी थी वह प्रकाशी की बाउण्ड्री के अंदर है। वह नल प्रकाशी का ही है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि पूनम के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी न ही उससे जातिसूचक शब्द बोले गये थे।

12. गवाह पीडब्लू–3 छत्रपाल व पी.ड.4 विजयपाल को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाहान ने पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 व 11 के तात्विक भाग को अपने द्वारा लिखाये जाने से इंकार किया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाहान ने अपने सामने ना तो कोई गाली गलौच होना और न ही कोई मारपीट होना कथित किया है।

13. अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित समस्त गवाहानों के बयानों का यदि समग्र रूप से विश्लेषण किया जावे तो परिवादी पक्ष व अभियुक्त ने मूल अपराध में राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराया जा चुका है। पत्रावली पर धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के अपराध बाबत परिवादी पी.ड.1 पूनम ने प्रतिपरीक्षा के दौरान कथन किया है कि जिस नल से वह पानी लेने गयी थी वह प्रकाशी की बाउण्ड्री के अंदर है। वह नल प्रकाशी का ही है। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी न ही उससे जातिसूचक शब्द बोले गये थे। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य किसी भी गवाह ने परिवादी को अभियुक्त द्वारा गाली गलौच कर अपमानित करने का तथ्य प्रकट नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य के दौरान पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने का तथ्य प्रकट किया गया है जिसके आधार पर इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन गवाहान राजीनामा होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही सही तथ्यों को अभिलेख पर नहीं ला पा रहे हो। वर्तमान में यह मामला साक्ष्य रहित प्रकट होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये शेष आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

14. अतः अभियुक्ता प्रकाशी पत्नी चंदी निवासी कठेरा चौथ थाना डीग, जिला डीग को धारा 341, 323, 504 भारतीय दंड संहिता के अपराध से बरूये राजीनामा एवं धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

15. साथ ही अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437(।) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में 10,000/– रूपये के जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के लिये इस आशय का पेश कर तस्दीक करावें।

16. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी को पीडित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(सरोज मीना)
अतिरिक्त जिल एवं सत्र न्यायाधीश
पदेन न्याायलयः विशिष्ट न्यायाधीश,
अनुसूचित जति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण
जिला डीग

17. निर्णय आज दिनांक 04.07.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सरोज मीना)
अतिरिक्त जिल एवं सत्र न्यायाधीश
पदेन न्याायलयः विशिष्ट न्यायाधीश,
अनुसूचित जति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण
जिला डीग